



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022

भाद्रपद 3, 1944 शक सम्वत्

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर

पत्र संख्या 1344-47/बं०श्र०-(र T O मा०आ०) - 22

कानपुर, 25 अगस्त, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-482

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बन्धुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 2628-31/एस०आर०बी०एल० सतर्कता समिति,

दिनांक 03 मार्च, 2020 का अतिक्रमण करके राज्यपाल परगना डेरापुर, जिला कानपुर देहात के लिये एक सतर्कता समिति का गठन करती हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1-उप जिलाधिकारी, डेरापुर, कानपुर देहात	अध्यक्ष
2-श्री बृजभान सिंह, ग्राम साधूपुर झींझक, कानपुर देहात	सदस्य
3-श्री रमाकान्त बाथम, ग्राम छतरसा, झींझक, कानपुर देहात	सदस्य
4-श्रीमती रेनू पत्नी श्री कमलेश, ग्राम बसीरपुर, मंगलपुर, कानपुर देहात	सदस्य
5-श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम रामनगर, औरंगाबाद, झींझक, कानपुर देहात	सदस्य
6-श्रीमती सुषमा कुशवाहा पत्नी श्री भजनलाल, ग्राम सिकहिला, मंगलपुर, कानपुर देहात	सदस्य
7-खण्ड विकास अधिकारी, डेरापुर, कानपुर देहात	सदस्य
8-खण्ड विकास अधिकारी, झींझक, कानपुर देहात	सदस्य
9-सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण झींझक, कानपुर नगर	सदस्य
10-शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा डेरापुर, कानपुर देहात	सदस्य
11-तहसीलदार, डेरापुर, जिला कानपुर देहात	सदस्य

आज्ञा से,

शकुन्तला गौतम,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/पदेन सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 523 राजपत्र-2022- (8 0 3) - 599 प्रतियां (क 0 / टी0 / ऑफसेट) ।
 पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 28 सा0 श्रम-2022- (8 0 4) - 100 प्रतियां (क 0 / टी0 / ऑफसेट) ।